

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-06/अ0-03-59/2000

पटना, दिनांक-

श्रीमती शीला प्रतिमा कुजूर, राज्य-कर अपर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के पत्रांक-8043 दिनांक-11.10.2017 की कंडिका 3 (G) (i) छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रावधान के आलोक में दिनांक-14.04.2025 से 20.04.2025 तक श्री नगर (जम्मू कश्मीर) की स्वयं एवं 13 वर्ष के पुत्र के साथ छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

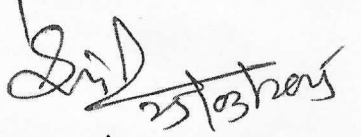
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-06/अ0-03-59/2000 (49)

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती शीला प्रतिमा कुजूर, राज्य-कर अपर आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित कि याचित अवधि की स्वीकृति एच0आर0एम0एस0 के माध्यम से करायेंगे।


सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।